

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZZETTE EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF Delhi
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING
49, SHAM NATH MARG, OLD SECTT., Delhi-110054.

Dated : 30.03.2021

NOTIFICATION

No. F. 8(05)/2020/DAM/MR/74 In exercise of the powers conferred under rule 23(1) of Delhi Agricultural Produce Marketing (Election) Rules 2000, I, H.P.S. Sran, Director (Agricultural Marketing), Government of National Capital Territory of Delhi hereby notify the schedule for Election to elect the members of new Marketing Committees:-

S.No.	Name of APMC election to be held	Name of Constituency	No. of members to be elected
1	APMC, Narela	1. Licenced traders and commission agents (enlisted as electors). 2. Licenced weighmen and measurers (enlisted as electors).	Two One
2	APMC, Najafgarh	1. Licenced traders and commission agents (enlisted as electors). 2. Licenced weighmen and measurers (enlisted as electors).	Two One
3	APMC (Shahdara) Gazipur	Licenced traders and commission agents (enlisted as electors).	Two
4	APMC, Keshopur	1. Licenced traders and commission agents (enlisted as electors). 2. Licenced weighmen and measurers (enlisted as electors).	Two One
5	Flower Marketing Committee, IFC, Gazipur	Licenced traders and commission agents (enlisted as electors).	Two
6	Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur	1. Licenced traders and commission agents (enlisted as electors). 2. Licenced weighmen and measurers (enlisted as electors).	Two One

Sh. Dharmender Singh presently posted as Deputy Director (Agricultural Marketing), 49, Sham Nath Marg (Behind Old Sectt.), Delhi – 110054, Office Telephone No. 23818301 has been appointed as Returning Officer for the above election which is scheduled as per programme given below: -

1	Last date for making nomination*	07.04.2021 (Wednesday) (11.00 AM to 3.00 PM)
2	Date for scrutiny of nominations	08.04.2021 (Thursday) (11.00 AM)
3	Last date for withdrawal of candidature	09.04.2021 (Friday) upto 3.00 PM
4	Date of poll Polling Time Counting after closing of Poll	06.05.2021 (Thursday) (8.00 AM to 4.00 PM)
5	The date before which the election shall be completed	13.05.2021 (Thursday)

* An affidavit regarding not having disqualifications, as per Rule 12 of Delhi Agricultural Produce Marketing (Election) Rules, 2000 should be attached with the nomination paper alongwith "No Dues Certificate" from the Secretary of the APMC concerned in the prescribed language.



(H P S SRAN)

सं. 8(05)/2020/डी.ए.एम./एम.आर./ 74

दिनांक 30.3.2021

प्रतिलिपि निम्न की जानकारी के लिए प्रेषित है :-

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 5 प्रधान सचिव (विकास), दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 8 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 9 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति)।
- 10 कृषि उत्पाद विपणन समिति नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, एवम् पुष्प विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली।
- 11 उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 15 गार्ड फाईल।


(एच.पी.एस. सरन)
निदेशक (कृषि विपणन)

दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विकास विभाग)

कृषि विपणन निदेशालय

49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दिनांक : 30.3.2021

अधिसूचना


सं. एफ 8(05)/2020/डी.ए.एम./एम.आर./74 दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (चुनाव) नियम, 2000 के नियम 23(1) के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एच.पी.एस. सरन, निदेशक (कृषि विपणन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एतद् द्वारा नई मण्डी समितियों के सदस्यों के चुनाव करने के लिए चुनाव प्रकरण घोषित करता हूँ:-

क्र.सं0	ए.पी.एम.सी. जहाँ चुनाव होने हैं	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या
1	कृषि उत्पाद विपणन समिति, नरेला	1. लाईसैंस प्राप्त व्यापारियों और कमीशन एजेंटों (जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है)। 2. लाईसैंस प्राप्त तोलकर्ता और मापकर्ताओं (जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है)।	दो एक
2	कृषि उत्पाद विपणन समिति, नजफगढ़	1. लाईसैंस प्राप्त व्यापारियों और कमीशन एजेंटों (जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है)। 2. लाईसैंस प्राप्त तोलकर्ता और मापकर्ताओं (जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है)।	दो एक
3	कृषि उत्पाद विपणन समिति (शाहदरा), गाजीपुर	लाईसैंस प्राप्त व्यापारियों और कमीशन एजेंटों (जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है)।	दो
4	कृषि उत्पाद विपणन समिति, केशोपुर	1. लाईसैंस प्राप्त व्यापारियों और कमीशन एजेंटों (जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है)। 2. लाईसैंस प्राप्त तोलकर्ता और मापकर्ताओं (जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है)।	दो एक
5	पुष्प विपणन समिति ए आई.एफ.सी., गाजीपुर	लाईसैंस प्राप्त व्यापारियों और कमीशन एजेंटों (जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है)।	दो
6	मछली, मुर्गा एवं अंडा विपणन समिति, गाजीपुर	1. लाईसैंस प्राप्त व्यापारियों और कमीशन एजेंटों (जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है)। 2. लाईसैंस प्राप्त तोलकर्ता और मापकर्ताओं (जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है)।	दो एक

श्री धर्मेन्द्र सिंह जो वर्तमान में उप-निदेशक (कृषि विपणन), 49, शामनाथ मार्ग (पुराना सचिवालय के पीछे), दिल्ली-110054. कार्यालय दूरभाष संख्या 23818301 के पद पर कार्यरत हैं, को उपरोक्त चुनाव के लिए जो निम्न कार्यक्रमानुसार होना है, निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) नियुक्त किया गया है:-

1	नामांकन की अंतिम तिथि *	07.04.2021 (बुधवार) (प्रातः 11.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक)
2	नामांकन पत्रों की जांच की तिथि	08.04.2021 (गुरुवार) (प्रातः 11.00 बजे)
3	उम्मीदवारों के नाम वापिस लेने की तिथि	09.04.2021 (शुक्रवार) (3.00 बजे तक)
4	चुनाव की तिथि चुनाव का समय मतदान होने के बाद गिनती	06.05.2021 (गुरुवार) (प्रातः 8.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक)
5	वह तिथि जिससे पूर्व चुनाव कार्य पूरा होना है।	13.05.2021 (गुरुवार)

* दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (चुनाव) नियम 2000 के नियम 12 के अनुसार अयोग्य नहीं होने से संबंधित शपथ-पत्र तथा निर्धारित भाषा में संबंधित कृषि उत्पाद विपणन समिति के सचिव द्वारा जारी "कोई देय बकाया नहीं है से संबंधित प्रमाण पत्र" नामांकन पेपर के साथ संलग्न किये जाने चाहिए।


(एच.पी.एस. सरन)
निदेशक (कृषि विपणन)

No. 8(05)/2020/DAM/MR/ 74

Dated : 30.03.2021

Copy forwarded to the following for information:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad.
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
4. The Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.
6. Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
7. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
9. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
10. Agricultural Produce Marketing Committee, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi, Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur and Flower Marketing Committee, Gazipur, Delhi.
11. The Principal Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi.
12. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi.
13. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
14. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
15. Guard file.



(H.P.S. SRAN)
Director (Agri. Mktg.)